सुमन वर्मा

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

24 सितंबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठाकुर, जे.जे.]

सेवा कानूनः

नियुक्ति-अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर (ईडीबीपीएम) योग्यताएँ (i) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना और (ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर कृषि भूमि का कब्जा-पद पर नियुक्त व्यक्ति की तुलना में मैट्रिक परीक्षा में अधिक अंकों के साथ एक उम्मीदवार-उक्त उम्मीदवार के पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर कृषि भूमि भी थी-लेकिन नामांतरण प्रविष्टि केवल 10 दिन बाद ही प्रभावी हो सकती थी-हालांकि, उक्त उम्मीदवार को ईडीबीपीएम के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था-लेकिन कैट ने उक्त उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की-आयोजित की गई भूमि की शुद्धताः कृषि भूमि का स्वामित्व और उसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना दो अलग-अलग और अलग-अलग चीजें हैं-उक्त उम्मीदवार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले कृषि भूमि का मालिक बन गया और इसलिए वह पात्र थी-इसके अलावा, वह ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में नियुक्त व्यक्ति की तुलना में अधिक मेधावी थी क्योंकि उसने अधिक अंक प्राप्त किए थे इसलिये, अधिकारियों ने किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति को नजरअंदाज करके उचित नहीं ठहराया। उक्त उम्मीदवार का मामला-इसलिए, कैट और उच्च न्यायालय के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

नियुक्ति-अवैध नियुक्ति-निरस्त-एक कर्मचारी पद पर आठ साल से काम कर रहा था।पीड़ित उम्मीदवार ने अन्य कर्मचारी के पक्ष में आदेश जारी होने के तुरंत बाद सक्षम न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण के समक्ष मामला उक्त उम्मीदवार मामले का निर्णय नहीं करा सका और मामले का अंत में निर्णय लिया गया-अभिनिर्धारित अन्य कर्मचारी के मामले पर पास के क्षेत्र में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए यदि वह अन्यथा फिट है-मामले के निपटारे में देरी से पीड़ित उम्मीदवार के लिए पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए जिसने समय पर न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था-इसलिए, कैट और उच्च न्यायालय ने दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति को सही ढंग से रद्द कर दिया और पीड़ित उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया।

अ. साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 35-सार्वजनिक अभिलेख में प्रविष्टि-राजस्व अभिलेख में नामांतरण प्रविष्टि संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व-अभिनिर्धारित यह भूमि के स्वामित्व वाली संपत्ति को अधिकार या अधिकार प्रदान नहीं करता है और इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना दो विभिन्न और विशिष्ट चीजें हैं- नामांतरण प्रविष्टि न तो हक या स्वामित्व का निर्माण करती है और न ही उसे समाप्त करती है।

अपीलार्थी को अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर (ईडीबीपीएम) के पद पर नियुक्त किया गया था। ईडीबीपीएम के पद पर नियुक्ति के लिए फार्म भरने की अतिम तिथित पर मेट्रीकुलेशन पास करना व कृषि भूमि होनी थी। अपीलार्थी ने दोनों योग्यताओं को पूरा किया और इसलिए, उक्त पद पर नियुक्त की गई और वह लगभग 8 साल की अवधि से उक्त पद पर काम कर रही थी।

हालांकि, प्रतिवादी संख्या 6 ने केंद्र CAT के समक्ष एक आवेदन दायर किया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि उसने अपीलार्थी की तुलना में मैट्रिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे। अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि वह आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एक उपहार विलेख के आधार पर एक कृषि भूमि की मालिक बन गई थी, लेकिन नामांतरण प्रविष्टि केवल 10 दिन बाद ही प्रभावी हो सकती है। कैट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि की। इसलिए याचिका दायर की गई है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1. जब प्रतिवादी संख्या 6 सम्पत्ति की मालिक बन गयी। एक उपहार विलेख के आधार पर, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, उसे कृषि भूमि रखने वाली कहा जा सकता है और इसलिए, वह पात्र थी। कृषि संपत्ति का स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराना दो अलग-अलग चीजें हैं। नामांतरण प्रविष्टि संपत्ति को अधिकार या अधिकार प्रदान नहीं करती है। नामांतरण प्रविष्टि न तो हक व स्वामित्व पता करती है और न ही समाप्त करती है।

रेखा चतुर्वेदी बनाम। राजस्थान विश्वविद्यालय, [1993] सप. 3 एस. सी. सी. 168 और सावर्णी बनाम। इंदर कौर, ए. आई. आर. (1996) एस. सी. 2823 ने भरोसा किया।

2. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 6 कृषि भूमि रखने के योग्य थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसके मामले को नजरअंदाज कर दिया गया और इसलिए, कार्रवाई अवैध और अनुचित थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 6 अधिक मेधावी थी, क्योंकि उसने मैट्रिक परीक्षा में अपीलार्थी से

अधिक अंक प्राप्त किए थे, कैट के उसे नियुक्त करने के निर्देश को अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त निर्देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। [655- ई-एफ]

रेखा चतुर्वेदी बनाम। राजस्थान विश्वविद्यालय, [1993] सप. 3 एससीसी 168 , पर भरोसा किया।

3. अपीलार्थी की नियुक्ति और निरंतरता के संबंध में- लगभग आठ वर्ष की सेवा की अवधि में, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने अपीलार्थी के पक्ष में आदेश जारी होने के तुरंत बाद अपनी शिकायत को उजागर करने के लिए एक सक्षम न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण के समक्ष मामला लंबित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 मामले का निर्णय नहीं करा सका और मामले पर अंततः निर्णय लिया गया। अतः प्रत्यर्थी सं. 6 का यह कहना सही है कि उक्त तथ्य से प्रत्यर्थी सं. 6 पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिसने समय पर न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। कैट इस मामले पर पूरी तरह से विचार करने और यह टिप्पणी करने में सही है कि अपीलार्थी को पास के क्षेत्र में अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए, यदि अन्यथा वह फीट है। [656 - बी-डी]

रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, [1993] सप. 3 एससीसी 168, अप्रयोज्य रखा गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2004 की सिविल अपील सं. 6275

पटना उच्च न्यायालय के 2004 के C.W.J.C. सं. 4106 में 2.4.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से एन. एन. गोस्वामी, सुश्री इंदु गोस्वामी, हरीश चंद्र, वी. के. वर्मा, विजय पंजवानी, अमित पवन, अमित

प्रत्यर्थियों की से ओर से कुमार और श्रीकांत एन. तेरडाल।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ठाकुर, जे.

अनुमति दी गयी।

वर्तमान अपील 2 अप्रैल, 2004 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है जो 2004 के C.W.J.C No.4106 में पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्त में "कैट") पटना पीठ, पटना द्वारा 9 मार्च, 2004 को 1997 के मूल आवेदन No.307 में पारित आदेश की पुष्टि की।

इसमें अपीलार्थी का मामला यह है कि उसने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, पटना से मैट्रिक की परीक्षा 1983 में द्वितीय श्रेणी में 900 में से 531 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की थी। उन्होंने बी. ए. आॅनर्स पास किया। 1988 में प्रथम श्रेणी में मुजफ्फरपुरा से सम्मान। वर्ष 1996 में, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराया। उनके पास 10 कथों की कृषि भूमि थी, जिसे उन्होंने 1 मार्च, 1995 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा द्वारका प्रसाद से खरीदा था। खजुहाटी गाँव में उनका एक आवासीय घर भी था।अपीलार्थी के अनुसार, अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर (संक्षेप में "ईडीबीपीएम"), खजुहाटी डाकघर, ब्लॉक मांझी का एक पद रिक्त हो गया।

ई. डी. बी. पी. एम., डाकघर, खजुहाटी को पदोन्नति मिलने के कारण यह पद खाली है। इसलिए उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी और 14 अक्टूबर, 1996 के एक पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, छापरा से

योग्य उम्मीदवारों के नाम बुलाए गए थे। अपीलार्थी के अनुसार, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा नौ नाम भेजे गए थे। अपीलार्थी को पात्र, योग्य और सबसे उपयुक्त पाया गया। तदनुसार, अपीलार्थी को 13 दिसंबर, 1996 के एक आदेश द्वारा उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। तब से, वह ई. डी. बी. पी. एम., खजुहाटी के रूप में काम कर रही हैं।

अपीलार्थी ने कहा कि हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 6 ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में नियुक्त होने के लिए न तो पात्र थी और न ही योग्य थी, लेकिन वह अपीलार्थी की नियुक्ति और अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित थी और अपीलार्थी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए मूल आवेदन दायर करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया। कैट के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा यह तर्क व्यक्त किया गया कि हालांकि वह पात्र और योग्य थी और अधिक मेधावी थी क्योंकि उसने मैट्रिक परीक्षा में 900 में से 584 अंक प्राप्त किए थे, जबकि अपीलार्थी ने 531 अंक प्राप्त किए थे। उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था। यह भी उनका मामला था कि उनके पास आवश्यकता के अनुसार कृषि भूमि थी और ऐसी कृषि भूमि होने का प्रमाण उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए यह अनिवार्य था कि अधिकारी उसके मामले पर विचार करें और उसे इस रूप में अपीलार्थी के विरूद्घ प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

कैट ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद अनुमति दी। याचिका में कहा गया है कि कैट (प्रतिवादी संख्या 6) के समक्ष आवेदक के मामले को प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों के गुण-दोष को दरकिनार करते हुए कमजोर आधारों पर नजरअंदाज कर दिया गया था। नतीजतन, कैट द्वारा 13 दिसंबर, 1996 के आदेश को अपास्त कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 6 (कैट के समक्ष आवेदक) को तुरंत नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया। न्यायाधिकरण ने भी यह पाया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 (इसमें अपीलकर्ता) कई वर्षों से काम कर रही थी, मूल आवेदन के निपटारे में देरी के कारण, अधिकारियों को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया

गया था कि क्या उन्हें "यदि और जब ऐसी रिक्ति उत्पन्न होती है तो आसपास के क्षेत्र में" नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह ऐसी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त पात्र हो।

कैट द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कैट के निर्णय की पुष्टि की और याचिका को खारिज कर दिया। अतः उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। श्री गोस्वामी, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया कि प्रत्यर्थी नंबर 6 ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में नियुक्त होने के लिए न तो पात्र थी और न ही योग्य थी और इसलिए, उन्हें अधिकारियों द्वारा उचित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना की अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुये, वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह बिल्कुल आवश्यक था कि उम्मीदवार के पास अपने नाम पर पर्याप्त भूमि संपत्ति होनी चाहिए और उसे ऐसी संपत्ति होने के संकेत में प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। पल भर में मामला, प्रत्यर्थी संख्या 6 के पास अचल संपत्ति नहीं थी और उक्त तथ्य अधिकारियों द्वारा अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि वह पात्र नहीं थी। इस तरह के निर्णय के साथ कैट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और उसे नियुक्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था इसलिए आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया कि कैट द्वारा एक पूरी तरह से अप्रासंगिक और बाहरी कारक को ध्यान में रखा गया था । मैट्रिक परीक्षा में दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के संबंध में वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना ही आवश्यक शैक्षिक योग्यता थी जबकि उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक नहीं। एक बार जब कोई उम्मीदवार पात्र हो जाता है,

तो उसका मामला होना आवश्यक है-द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार विचार किया गया। विभाग और एक दूसरे पर कोई "वरीयता" नहीं हो सकती है। अतः उक्त तथ्य को प्राधिकरण के साथ और उस आधार पर नहीं तोलना चाहिए था इसके अलावा, निर्णय असुरक्षित है। यह तर्क दिया गया कि एक निर्देश जारी किया गया था।

कैट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 को "नियुक्त" करने के लिए। कैट द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था, भले ही वह संतुष्ट हो कि अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही कानून के अनुरूप नहीं थी। जो सीमित निर्देश जारी किया जा सकता है, वह अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय को दरकिनार करना और कानून के अनुसार मामले पर नए सिरे से विचार करना हो सकता है। अंत में, यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को अधिकारियों द्वारा सबसे उपयुक्त पाया गया और उसे 1996 की शुरुआत में नियुक्त किया गया। लगभग आठ साल बीत चुके हैं और वह ईडीबीपीएम के रूप में काम कर रही हैं। यदि इस स्तर पर, नियुक्ति रद्द कर दी जाती है, तो उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। इसलिए यह आग्रह किया गया कि भले ही इस न्यायालय का विचार है कि अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही को कानूनी या विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है।

श्री हरीश चंद्र, भारत संघ के विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में कैट के फैसले को चुनौती नहीं दी है।

दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील श्री अमित पवन ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेश का

समर्थन किया। यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 पात्र और योग्य था। अधिसूचना की आवश्यकता के अनुसार उनके पास कृषि संपत्ति थी। डाक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में शर्तों का उल्लेख करते हुए, वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने अधिसूचना में उल्लेखित सभी शर्तों को पूरा किया। वह गाँव की स्थायी निवासी थी। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इसमें अपीलार्थी द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उनके पास आजीविका के स्वतंत्र स्रोत से आय के पर्याप्त साधन थे और उनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र थे। यह कहा गया था कि14 अक्टूबर, 1996 के उपहार विलेख के अनुसार, वह कृषि भूमि की मालिक बन गई। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर, 1996 थी। प्रत्यर्थी संख्या 6 आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से पहले 29 अक्टूबर, 1996 को कृषि भूमि का मालिक बन गया। हालांकि, नामांतरण प्रविष्टि 22 नवंबर, 1996 को की गयी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अचल संपत्ति का मालिक बन गया था, लेकिन बाद में राजस्व अभिलेख में नामांतरण प्रविष्टि को प्रभावित किया जा सकता है लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या6 के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर कृषि भूमि नहीं थी। राजस्व अभिलेख में भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रविष्टि अप्रासंगिक है। इसलिए, इस तथ्य पर अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था और कैट ने अधिकारियों की कार्यवाही को दरकिनार करने और उन्हें निर्देश देने में कानून या अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि नहीं की।

प्रत्यर्थी संख्या 6 को नियुक्त करना गलत नहीं था क्योंकि वह अधिक मेधावी थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि प्रासंगिक शिक्षा योग्यता मैट्रिक है, इसलिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक वास्तव में प्रासंगिक होंगे और न्यायाधिकरण ने इस परीक्षा में प्राप्त अंकों पर निर्भरता को पूरी तरह से उचित ठहराया। इसलिए, आदेश में

किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। यह भी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ने विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने के तुरंत बाद कैट से संपर्क किया था, लेकिन कैट ने उस मामले का अंतिम रूप से निर्णय करने में अंतिम समय लिया जो उचित राहत प्राप्त करने में प्रतिवादी संख्या 6 के रास्ते में नहीं आना चाहिए। किसी भी मामले में न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी को समायोजित करने के लिए उचित अवसर दिये जाये, यदि संभव हो। इसलिए वकील ने कहा कि अपील खारिज की जानी चाहिए।

पक्षों के विद्वान वकील को सुनकर और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद हमारा विचार है कि कैट द्वारा दिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि अधिसूचना और उसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 दोनों योग्य थे। जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, दोनों संबंधित पक्षकार ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। अधिसूचना के खंड डी के अनुसार उम्मीदवार का मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया है कि उच्चतर योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को इस तथ्य पर विचार करना था कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना। अभिलेख से यह और भी स्पष्ट है कि जबकि अपीलार्थी ने 900 में से 531 अंक प्राप्त किए थे, प्रतिवादी संख्या 6 ने 584 अंक प्राप्त किए थे। उत्तरदाता संख्या 6 इस प्रकार अधिक था। जहाँ तक मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की दृष्टि से वे मेधावी थे। विभाग का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 6 के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। प्राधिकरण का विचार यह था कि अपीलकर्ता के नाम कृषि भूमि थी, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 के पास कृषि भूमि नहीं थी इस प्रकार वह पात्र नहीं थी। अब, यह मामला है कि प्रतिवादी संख्या 6 की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 1996 के उपहार-विलेख के आधार पर कृषि भूमि की मालिक बन गई थी। 12 नवम्बर

1996 ये पहले नामांतरण प्रविष्टि को प्रभावित नहीं किया जा सकता था और यह 22 नवंबर, 1996 को किया गया था। कैट, हमारी राय में, उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 6 के पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर कृषि भूमि नहीं थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पात्र नहीं थी।

इस संबंध में हमारा ध्यान दोनों के विद्वान वकील द्वारा आकर्षित किया गया।

रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्णय के पक्षकार, [1993] सप. 3 एससीसी 168 उस मामले में, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन/अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कुछ उम्मीदवारों के पास कोई अपेक्षित योग्यता नहीं थी। हालाँकि, उन्होंने बाद में ऐसी योग्यता प्राप्त की। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या ऐसे उम्मीदवारों को संबंधित तिथि पर आवश्यक योग्यता प्राप्त करने वाले के रूप में योग्य माना जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवार को विज्ञापन/अधिसूचना में विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पर या पद में विशेष रूप से उल्लिखित तिथि पर योग्य होना चाहिए। ऐसी तारीख के बाद किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता को पद के लिए योग्यता के रूप में नहीं लिया जा सकता है और उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में से एक में कहा गया है;

> "B. चयनित उम्मीदवारों को अंतिम रूप से योग्य होना चाहिये। विचाराधीन पदों के लिए आवेदन करने की तारीख या तारीख विज्ञापन/अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये। उसके बाद अभ्यर्थियों ने जो योग्यता हासिल की है उस पर विचार

नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वह मनमाना और परिणामस्वरूप भेदभाव होता है। ये तो याद रखना ही होगा कि जब विज्ञापन/अधिसूचना यह दर्शाती है कि उम्मीदवार के पास आवेदन करने की अंतिम दिनांक पर विचाराधीन योग्यताएँ होनी चाहिए तथा जिनके पास उस दिनांक को योग्यता नहीं है उस पर विचार नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में, बहुत से लोग अन्यथा इसके हकदार होंगे विचार किय जाना चाहिये और आवेदन करने वालों से भी बेहतर हो सकता है। मेरी शिकायत वैध है क्योंकि उन्हें विचार से बाहर रखा गया है।"

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ने दिनांक 22 नवम्बर 1996 को राजस्व रिकार्ड में नाम बदल लिया है और वह 'ए' प्रासंगिक तिथि आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर 1996 थी। रेखा चतुर्वेदी में निर्धारित अनुपात इस प्रकार वर्तमान मामले पर लागू होता है और चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 पात्र नहीं थी, इसलिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जा सका।

हालाँकि, हमारी सुविचारित राय में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नंबर 6 यह तर्क सही है कि प्रतिवादी नंबर 6 अक्टूबर, 1996 में कृषि भूमि का मालिक बन गया था। विचार के लिए प्रासंगिक तिथि 12 नवंबर, 1996 थी और उस तारीख से पहले, उसके पास ऐसी संपत्ति थी। रेखा चतुर्वेदी, हमारे विचार में, अपीलार्थी के बजाय प्रतिवादी संख्या 6 का समर्थन करती हैं। जब प्रतिवादी संख्या 6 अक्टूबर, 1996 में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले संपत्ति की मालिक बन गई, तो उसे कृषि भूमि का स्वामी कहा जा सकता था और इसलिए, वह पात्र थी। हमारी राय में, कृषि संपत्ति का स्वामित्व और राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराना दो अलग-अलग चीजें हैं। नामांतरण प्रविष्टि संपत्ति को अधिकार प्रदान नहीं करती है। यद्यपि कानून बहुत

अच्छी तरह से स्थापित है, हमारी राय में, कैट इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने में सही था। सावर्णी बनाम इंदर कौर और अन्य, ए. आई. आर. (1996) एस. सी. 2823 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि नामांतरण प्रविष्टि न तो हक और न ही स्वामित्व को निर्धारित करती है और न ही समाप्त करती है। स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारे निर्णय में, कैट के साथ-साथ उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 6 कृषि भूमि होने के कारण पात्र था, उनके मामले को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और इसलिए, कार्यवाही अवैध और अनुचित थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 6 अधिक मेधावी थी, क्योंकि उसने अपीलार्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसे नियुक्त करने के लिए कैट के निर्देश के बारे में कानूनी या गैर कानूनी होना नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। कैट ने 10 मई, 1991 के कार्यकारी आदेश के पैरा 2 का भी उल्लेख किया है। डाक महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया, जो इस प्रकार है;

"ईडी बी. पी. एम./ईडी एस. पी. एम. के चयन के लिए निर्णायक कारक आय और सम्पत्ति होनी चाहिये न कि निशान, विस्तृत जाँच की गयी लेकिन इस पर सहमति नहीं जतायी जा सकती क्योंकि इससे कब्जे का परिचय होगा। कब्जे के माले में प्रतिस्पर्धात्मकता का एक तत्व संपत्ति और कमाई या आय की योग्यता निर्धारित करने के लिए ईडी एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार। वित्तीय स्थिति का प्रमाण यह न केवल हेराफेरी के अधीन है बल्कि योग्यता के लिए भी हानिकारक है।

जब भारत का संविधान सभी लोगों को उनकी उन्नति के लिए समान अवसर की गारंटी देता है तो उचित पाठ्यक्रम ईडी की पेशकश होगी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रोजगार परीक्षा जिसने उसे नियुक्ति के लिए योग्य बनाया,

बशर्ते उम्मीदवार के पास न्यूनतम स्तर की सम्पत्ति है और आय ताकि उसके पास आजीविका के अलावा पर्याप्त साधन हो ईडी भत्ता।"

एक अवधि के लिए अपीलार्थी की नियुक्ति और निरंतरता के संबंध में लगभग आठ वर्षों की सेवा में, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के पक्ष में आदेश जारी होने के बाद उसकी शिकायत को तुरंत उजागर करने के लिए प्रतिवादी संख्या 6 ने एक सक्षम न्यायाधिकरण से संपर्क किया था। न्यायाधिकरण के समक्ष मामला लंबित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 मामले का निर्णय नहीं करा सका और मामले पर अंततः निर्णय लिया गया। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि उक्त तथ्य प्रत्यर्थी संख्या6 के प्रति पूर्वाग्रह पैदा नहीं करना चाहिए, जिसने समय पर न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। हमारे लिए, कैट इस मामले पर पूरी तरह से विचार करने और यह टिप्पणी करने में सही है कि अपीलार्थी के मामले को पास के क्षेत्र में ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाए, यदि वह अन्यथा उपयुक्त है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान वकील रेखा चतुर्वेदी पर भरोसा किया जा रहा है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि उस मामले में इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया को गैरकानूनी ठहराने के बाद, कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया और अलग रखने से इनकार कर दिया इस आधार पर अवैध नियुक्ति कि मामले की सुनवाई आठ साल बाद हुई थी। हालाँकि, मामले में प्रतिवादी संख्या 6 ने तुरंत न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था, न्यायाधिकरण ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया और प्रतिवादी संख्या 6 को राहत दी और उपयुक्त टिप्पणियां भी की ताकि यदि संभव हो तो वर्तमान अपीलार्थी को समायोजित किया जा सके। इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की थी। इसलिए, हमें उस दिशा में बाधा डालने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

उपरोक्त कारणों से, अपील खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार, खारिज किया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।